लेक्चरर को प्रमोशन के बजाय डिमोशन करके वापस वरिष्ठ शिक्षक बनाया?'

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस विवादित आदेश पर स्टे देते हुए इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को रखी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने लेक्चरर को प्रमोशन देने के बजाय डिमोशन किए जाने के विवादित आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका में राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण (रेट) के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता लेक्चरर श्रवण लाल खोरवाल ने रेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी, जहां 8 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान तत्कालीन चेयरपर्सन विकास सीतारामजी भाले व सदस्य चेतनराम देवड़ा ने उसे स्टे देते हुए अंतरिम राहत दी थी, परंतु बाद में इस आदेश को बदल दिया गया। जब यह मामला ट्रिब्यूनल में सूचीबद्ध ही नहीं थी, उसी दौरान इस प्रकरण में दूसरा आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी कर दिया गया, जो कि गैरकानूनी है।

■ **हाईकोर्ट ने रेट के रजिस्ट्रार को भी अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि ट्रिब्यूनल ने पहले तो उसे अंतरिम राहत दी, परंतु बाद में आदेश बदल दिया गया**

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता युवराज सामंत पैरवी के लिए पेश हुए थे। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रवि चिराणिया ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण (रेट) के रजिस्ट्रार को 6 मार्च 2026 को शपथपत्र देकर जवाब पेश करने के आदेश दिए थे। जिस पर 27 मार्च को रेट की ओर से शपथ पत्र के साथ जवाब पेश हुआ था। इस जवाब पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर रजिस्ट्रार को पेश होने के आदेश दिए थे।

मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता श्रवण लाल खोरवाल वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2015 में इनका तबादला करते हुए उदयपुर से अजमेर लगा दिया गया था। वर्ष 2016-27 की डीपीसी में पदोन्नति मिली और उन्हें लेक्चरर बना दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 2025 की डीपीसी में उन्हें उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी जानी थी, परंतु उसे वापस वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड-2 के पद पर ही लगा दिया। साथ ही वर्ष 2016 में लेक्चरर पद पर किया गया प्रमोशन भी रद्द कर दिया।

ऐसे में इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस रवि चिराणिया की एकलपीठ ने कहा कि, जब ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के संबंध में 8 अगस्त 2025 को आदेश पारित किए, तब उसकी सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में 17 जून 2025 को याचिकाकर्ता के डिमोशन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए इस प्रकरण की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है। साथ ही इस सुनवाई पर राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण (रेट) के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।

रोडवेज कर्मचारी 16 अप्रैल को जयपुर में देंगे प्रदेशस्तरीय धरना

जयपुर । एटक-एआईटीयूसी से जुडी राजस्थान स्टेट रोडवेज एंप्लाइज यूनियन के आ ान पर गुरुवार, 16 अप्रैल को प्रातः 11 बजे जयपुर स्थित रोडवेज मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। इस महाधरने में सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही वर्गों के कर्मचारी भाग लेकर अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष एम.एल. यादव के अनुसार यह आंदोलन लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। जिससे रोडवेज संचालन और कर्मचारियों की कार्य स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। धरने में शामिल होने से पहले कर्मचारी जयपुर आगार से रैली के रूप में रवाना होकर रोडवेज मुख्यालय पहुंचेंगे। यूनियन ने सभी कर्मचारियों से अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले हिस्ट्रीशीटर की तलाश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। शहर के मालवीय नगर थाना इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का शातिर हिस्ट्रीशीटर निकला है।

■ **वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर का शातिर हिस्ट्रीशीटर है।**

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल गुर्जर ग्वालियर के सरसपुरा गांव (बिजौली) का निवासी है। उसके खिलाफ लूट, डकैती और मारपीट के कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित एसआईटी टीम फिलहाल ग्वालियर में डेरा डाले हुए है और लगातार दबिश दे रही है। गौरतलब है कि 25 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी बीच सड़क पर एक गर्भवती महिला के पास पीछे से पहुंचकर उससे छेडछाड करता दिखाई दिया। महिला के विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई। पीड़िता ने भी घटना की सूचना पुलिस को दी थी। हालांकि, प्रारंभिक स्तर पर लापरवाही बरतने के आरोप में जवाहर सर्किल थाना के एएसआई महेश चंद्र और हेड कांस्टेबल अंगद राम मीणा को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि दोनों ने आरोपी को पकडने के बाद बिना कार्रवाई के छोड़ दिया था।

मुख्यमंत्री ने किया छात्राओं के साथ वर्चुअल संवाद

मुख्यमंत्री ने छात्राओं के अनुभव सुने, आत्मनिर्भर बनने का किया आव्हान

जयपुर (कासं) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम है। इस अधिनियम के माध्यम से आधी आबादी अब निर्णय लेने की मुख्य भूमिका भी निभाएगी। इससे महिलाएं योजना एवं बजट बनाने सहित देश के हर अहम निर्णय में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि बेटियों का दृढ़ आत्मविश्वास ही विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलेगा। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर की छात्राओं के साथ संवाद कर रहे थे।

■ **प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं, इससे संसद-विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा : भजनलाल शर्मा**

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। छात्राएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही समाज और प्रदेश के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दृढ़ आत्मविश्वास के जरिए पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी के कार्यों को महिला शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से जुड़ी मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस सहित विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों की छात्राओं से संवाद कर उनके कार्यक्षेत्र के अनुभवों और महिला सशक्तीकरण के सुझावों को सुना। शर्मा ने पचपदरा में केमिकल इंजीनियर श्रेया के चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र के चयन की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। ऑस्ट्रेलिया में डेटा साइंस की छात्रा तारुषी ने मुख्यमंत्री को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया। मेयो गर्ल्स कॉलेज की छात्रा नव्या ने कहा कि इस अधिनियम ने महिलाओं को नीति निर्माण में सशक्त भागीदारी का मौका दिया है। कार्यक्रम में छात्राओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

स्कूल के खेल मैदान की भूमि का आवंटन रद्द करने पर रोक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के बाजौर स्थित सरकारी स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित की गई भूमि का आवंटन रद्द करने वाले स्थानीय कलेक्टर के गत 5 फरवरी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्थानीय कलेक्टर, शिक्षा विभाग और स्कूल समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

■ **सीकर के बाजौर स्थित सरकारी स्कूल का मामला**

■ **हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्थानीय कलेक्टर, शिक्षा विभाग और स्कूल समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा**

याचिका में अधिवक्ता केतन धाभाई ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2023 में स्कूल के खेल मैदान के लिए 2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल विकास समिति के साथ बैठक का हवाला देते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा कि यह जमीन स्कूल से चार सौ मीटर दूर स्थित है। जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पडती है। इस पत्र के आधार पर कलेक्टर ने गत पांच फरवरी को इस भूमि का आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन बदले में दूसरी जमीन आवंटित नहीं की। याचिका में कहा गया कि आवंटन रद्द करने के अल्प समय बाद ही इस जमीन को मैसर्स बाजोर डेजर्ट सफारी एंड रिसोर्ट को आवंटित कर दी। याचिका में कहा गया कि निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूल के खेल मैदान का आवंटन रद्द किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आवंटन रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

छह पुलिसकर्मियों को मिला कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवॉर्ड

जयपुर । जयपुर जयपुर कमिश्नरेट में मार्च 2026 माह के लिए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले छह पुलिसकर्मियों को 'कांस्टेबल ऑफ द मंथ' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने आयोजित समारोह में इन पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति देकर सम्मानित किया।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि कांस्टेबल राहुल कुमार ने एक मामले में सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं कांस्टेबल सुनील कुमार (कार्यालय पुलिस उपायुक्त पश्चिम) ने अंतरराज्यीय गैंग के दो इनामी आरोपियों को तकनीकी विश्लेषण के जरिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कराने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा कांस्टेबल कमलेश कुमार (जालूपुरा थाना, जिला उत्तर) ने रात्रि गश्त के दौरान गुम हुए 50-60 हजार रुपए से भरे पर्स को खोजकर संबंधित व्यक्ति को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया,कांस्टेबल अनिल कुमार ने लंबे समय से लंबित 10 स्थायी वारंट और 5 गिरफ्तारी वारंट का सफल निष्पादन किया। साथ ही कांस्टेबल संदीप कुमार ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में कडी मेहनत और निष्ठा से कार्य किया और कांस्टेबल राकेश कुमार शर्मा ने विभिन्न प्रमुख आयोजनों-जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की।

खरीफ-2025 में अल्पकालीन फसली ऋणों की भुगतान तिथि बढ़ाई

■ **सरकार की इस राहत से 5.57 लाख किसानों को मिलेगा लाभ**

जयपुर । राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 5.57 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2025 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 15 मई, 2026 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे।

पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2026 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।

दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 5.57 लाख किसानों पर बकाया लगभग 2184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता। सहकारिता मंत्री ने किसानों से इस विस्तारित अवधि का लाभ प्राप्त करते हुए ऋणों का चुकारा कर शून्य ब्याज दर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

सुर्खियां बटोरने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे अशोक गहलोत : दिलावर

राज्य सरकार नियम-क़ानून के तहत शीघ्र चुनाव के पक्ष में है : शिक्षा मंत्री

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं और बचकानी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून एवं न्यायालयों का सम्मान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की अनुपालना के पश्चात ही चुनाव करवाये जाने के लिए निर्देशित किया है। सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उसका विस्तृत अध्ययन करेगी एवं विधिवेत्ताओं से राय लेकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शीघ्र चुनाव संपन्न करवाएगी।

■ **दिलावर ने कहा ''100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे गहलोत**

■ **होटलों में चली पिछली सरकार वाला दौर था कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन : दिलावर**

दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने तो 13 साल तक चुनाव कराए ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाये रखने के लिए 1975 में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस कांस्टीट्ययूशन ब्रेकडाउन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे हम पर न्यायालय की अवहेलना करने और कांस्टीट्ययूशन ब्रेकडाउन के आरोप लगा कर सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं।

मदन दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने घर पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के सम्मान को तार-तार करने का काम किया था। अपने ही सहयोगी को नाकारा निकम्मा मक्कार जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया था। वे अपने अपराधों का दोष एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर थोपकर एक घोर अपराध कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी कोई नहीं है। अशोक गहलोत जी के जैसा राज्यपाल का असम्मान करने वाला कोई नहीं है। और अनगर्ल टिप्पणियां कर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्क्रैप मैटेरियल बेचकर जयपुर मंडल ने 78 करोड़ रु. कमाए

जयपुर । उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 में स्क्रैप बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन करते हुए 78.40 करोड़ का राजस्व अर्जित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह जयपुर मंडल द्वारा किसी एक वित्त वर्ष में अब तक की सर्वाधिक बिक्री है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जयपुर मंडल को स्क्रैप बिक्री के माध्यम से 65 करोड़ के राजस्व सृजन का लक्ष्य दिया गया था। मंडल ने न केवल इस लक्ष्य को प्राप्त किया,बल्कि इसे 20.62 प्रतिशत से अधिक पार करते हुए उल्लेखनीय सफलता दर्ज की। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में बेचे गए 26.54 करोड़ के स्क्रैप मैटेरियल की तुलना में लगभग 3 गुना है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर पूजा मित्तल ने बताया कि जयपुर मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 22,261 मीट्रिक टन स्क्रैप का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। जिससे रेलवे को 78.40 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। जयपुर रेल मंडल की यह उपलब्धि न केवल आर्थिक मजबूती का संकेत है,बल्कि सुरक्षित, स्वच्छ एवं आधुनिक रेलवे प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। स्क्रैप मैटेरियल का समयबद्ध निष्पादन केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम ही नहीं,बल्कि रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन ने इस उपलब्धि पर मंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता 'मिशन जीरो' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सहकार मसाला मेले की तैयारियों पर चर्चा

जयपुर (कासं)। सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रेल तक 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026' का आयोजन होगा। सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में मेले की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मसाला मेले की तैयारियों पर चर्चा की।

■ **जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रेल तक होगा आयोजन**

शासन सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन सहकारिता विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह मेला अब जयपुर की विशिष्ट पहचान बन चुका है, जिसका जयपुरवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले को आगन्तुक ग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। मेले में फुटफॉल बढ़ाने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, मेले में ऑर्गेनिक उत्पादों व श्रीअन्न उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने मेले में स्टॉल्स की संख्या में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए।

डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि मेले में नवाचारों का भी व्यापक रूप से समावेश किया जाए, जिससे लोगों का मेले के प्रति आकर्षण बढ़े। उन्होंने मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए देश-प्रदेश से आने वाले प्रतिभागियों के लिए आवास व परिवहन सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले में प्रतिदिन आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या में राज्य की लोक कलाओं का समावेश करते हुए कार्यक्रमों को अधिक आकर्षक बनाने के भी निर्देश दिए। शासन सचिव ने कहा कि मसाला मेला सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के व्यवसाय, बिक्री एवं प्रचार के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है।

इन संस्थाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए वर्षपर्यंत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने पर भी विचार किया जाए। बैठक में मेले के संबंध में गठित विभिन्न कमेटियों के प्रभारी अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

सफाई सेवा मैराथन शुरू करेगा निगम

जयपुर । नगर निगम जयपुर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के साथ सफाई में बेहतर कार्य करने के लिए योजना बना रहा है। इसी दिशा में निगम शनिवार से विशेष सफाई अभियान चलाएगा। सफाई सेवा मैराथन के आगाज के साथ हर अधिकारी जयपुर को स्वच्छ-सुंदर बनाने के लिए फील्ड में काम करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर सफाई के प्रति सजगता बरतने के निर्देश दिए। आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सफाई कार्यो को लेकर मोटिवेट किया और बैठक में अधिकारियों को सफाई में जयपुर को अव्वल बनाने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने को कहा। निगम आयुक्त ने सफाई सेवा मैराथन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। निगम आयुक्त ने बैठक में कहा कि हर अधिकारी-कर्मचारी का एक ही लक्ष्य स्वच्छ जयपुर सुंदर जयपुर होना चाहिए।

सफाई कार्य को लेकर अब सीएसआई की भी रैंकिंग तय होगी। प्रथम, दूसरे और तीसरे नम्बर पर रहने वाले सीएसआई को स्वच्छता हीरो के सम्मान से नवाजा जाएगा।

26 साल पुराने मालपुरा सांप्रदायिक दंगा मामले के 10 आरोपी दोषमुक्त

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । शहर की साम्प्रदायिक दंगा मामलों की विशेष कोर्ट ने करीब 26 साल पहले 10 जुलाई, 2000 को मालपुरा में हुए साम्प्रदायिक दंगे में चार जनों की हत्या के मामले में दस आरोपियों को संदेह लाभ में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने मोहम्मद इम्तियाज, अब्दुल रज्जाक, साजिद अली, फहीम अहमद, ईशाक, अब्दुल वाहिद, रकीब अहमद, मुनीर, रऊफ व नवाब को दोषमुक्त किया है। इस मामले में ज्यादातर गवाह पक्षद्रोही हो गए थे और आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या का प्रयास साबित नहीं होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

■ **10 जुलाई 2000 को मालपुरा में हुए साम्प्रदायिक दंगे में चार जनों की हत्या का मामला**

■ **इस मामले में ज्यादातर गवाह पक्षद्रोही हो गए थे और आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या का प्रयास साबित नहीं होने के कारण कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।**

आरोपियों के अधिवक्ता वाहिद नकवी ने बताया कि आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी और जेल से पहले ही पुलिस थाने में उनकी पहचान उजागर हो गई थी। जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित थी, उनके खिलाफ नई साक्ष्य ही पेश नहीं हो पाई थी। जिन हथियारों से हत्या होने का दावा किया गया था, उन पर खून ही नहीं था। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या का प्रयास का आरोप साबित ही नहीं कर सके। वहीं ज्यादातर गवाह पक्षद्रोही भी हो गए। इसके चलते ही कोर्ट ने दस आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। गौरतलब है कि जुलाई 2000 को परिवादिया मंजू देवी ने मालपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जीप में जाते समय उन पर हमला हुआ। इस हमले में 4 जनों की मौत हुई और दो लोग घायल हो गए।

डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई

जयपुर । भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की 135वी जयंती के अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जयपुर मण्डल कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने बाबा साहेब के विचारों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहेब एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने भारतवर्ष के प्रत्येक जरूरतमंद इंसान के जीवन मे रोशनी देने का काम किया है।

मानसरोवर-श्याम नगर में हुक्का बार पर छापा

पुलिस ने 3 संचालकों को गिरफ्तार कर 17 लोगों के चालान काटे

जयपुर । गुलाबी नगरी में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बुधवार को सख्त कार्रवाई करते हुए मानसरोवर और श्याम नगर थाना क्षेत्रों में तीन स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 3 संचालकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हुक्का पीते पाए गए 17 लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान किए गए।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गठित पुलिस टीम ने मानसरोवर स्थित 'इक्का क्लब', 'हॉट हाउस ट्रीट कैफे' और श्याम नगर स्थित 'एलटेरो कैफे 2.0' पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कुल 14 हुक्के, बड़ी मात्रा में तंबाकू फ्लेवर सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।

संजीव नैन ने बताया कि मानसरोवर में 'कांसेप्ट आरएनए' कोचिंग संस्थान की चौथी मंजिल पर संचालित 'हॉट हाउस ट्रीट कैफे लाउंज' में खाने-पीने की आड में युवाओं को अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने मौके से संचालक प्रकाश वासवानी को गिरफ्तार कर 10 हुक्के और तंबाकू फ्लेवर जब्त किए।

इसके अलावा न्यू आतिश मार्केट स्थित 'इक्का क्लब' पर कार्रवाई करते हुए मैनेजर हनुमान (निवासी खैरथल) को गिरफ्तार किया गया और वहां से भी हुक्का सामग्री बरामद की गई।

वहीं श्याम नगर थाना पुलिस ने 'एलटेरो कैफे 2.0' पर छापा मारकर संचालक यश कुमार को गिरफ्तार किया। यहां से 4 हुक्के, चिलम, पाइप और नशीले तंबाकू फ्लेवर के डिब्बे बरामद किए गए। मौके पर हुक्का पीते मिले 7 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस ने इस पूरे अभियान के दौरान 3 अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम 2000 और कोटपा अधिनियम 2019 (संशोधित) की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू की है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड करने वाले अवैध हुक्का बार संचालकों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।